

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 703] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938 No. 703] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/CHAITRA 1, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

का.आ.1165(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ में 430.361 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जन्तु जिसके अंतर्गत तेंदुआ, चीतल, कोतरी, लकड़बग्घा, रीछ, मोर आदि शामिल हैं की प्रचुर प्राकृतिक वास के लिए महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है और जल प्रपात की बारहमासी जल स्त्रोत और साल वन सहित सुन्दर स्थिर प्राकृतिक वास में प्रवासी हाथी भी पाएं जाते है।

सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है

1404 GI/2016 (1)

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तार तक के क्षेत्र को सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसुचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- **1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-** पारिस्थितिक संवेदी जोन उ 23° 26' 35.74" से 23° 37' 8.72" उ अक्षांश और 83° 18' 3.56" पू से 83° 44' 8.27" पू के बीच स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 137.30 वर्ग किलोमीटर है और जो सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले 23 गांवो की सूची प्रमुखता के साथ **उपाबंध**। के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन की अक्षांश और देशांतर रेखांए **उपाबंध ॥** और **उपाबंध ॥** में दिया गया है।
- **3.** सीमा के ब्यौरे तथा अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात:--
 - (i) पर्यावरण ;
 - (ii) वन :
 - (iii) शहरी विकास ;
 - (iv) पर्यटन ;
 - (v) नगरपालिका :
 - (vi) राजस्व ;
 - (vii) कृषि ;
 - (viii) छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
 - (ix) सिंचाई
 - (x) लोक निर्माण विभाग।
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकुलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

- (8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकुल विकास के लिए विनियमित करेगी।
- (9) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए पृथक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात :--
- (1) **भू-उपयोग** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं011, 17, 23, 28, 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों हेतु पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ठ, लकड़ी के आवास आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात :-
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा:

- (ii) पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण समरसोत वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर अनुजात नहीं होंगे ।
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **बायु प्रदूषण** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्नाव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपिशष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
 - (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) औद्योगिक इकाईयां (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

1		सारणा
क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	3	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के
		मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थ जिसके अंतर्गत नाशकजीवमार और कीटनाशी भी है, का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नई लकडी़ आधारित उद्योग ।	नई लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना पारिस्थितिक संवेदी जोन की अनुमित के भीतर होगी: परंतु लकड़ी आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं; परंतु यह और कि आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अवसान अविधि पर नहीं किया जाएगा।
		नियमित क्रियाकलाप
(10)	प्लास्टिक कैरी बैग्स, लैमिनेट्स और टेटरा पैक्स का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार नियंत्रित। प्लास्टिक वस्तुओ, लैमिनेट्स और टेटरा पैक्स का समापन बिलकुल ही निष्क्रीय और चेतावनी भार द्वारा किया जाएगा
(11)	होटल और रिसोर्ट की स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर की सीमा के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सिहत उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमित दी जाएगी।
		परंतु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और
		विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही
		न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी
		या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।
		(ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन
		बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना निर्देशों का पालन किया जाएगा ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का
	जल संचयन भी है।	निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का
		्र निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा
		अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।
		(ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए
		सभी उपाय किए जाएंगे।
(15)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का	विद्यमान सर्वोपरि विद्युत केबिल आंचलिक महायोजना के अनुसार विनिर्दिष्ट
	परिनिर्माण।	अवधि के भीतर विद्युत रोधित होगा। भविष्य में भूमिगत केबिलिंग
		संप्रविर्तित होगा।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार
	सुदृढ करना।	होंगे।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	लागू विश्विया के अधान विानयामत होग । उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस
(21)	उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागु विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा
		्र उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक
		्र उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं
		डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संग्रहण ।	
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)		संवर्धित क्रियाकलाप
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
	उद्योग, एक्वाकल्चर और मछली पालन	
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सिक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
	1	

(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
	को ग्रहण करना ।	
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
	आदि भी हैं।	
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात:-

1.	प्रभागीय आयुक्त, सरगुजा, अंबिकापुर-	अध्यक्ष
2.	कलक्टर, जिला बलरामपुर -	सदस्य
3.	, जिला वन अधिकारी जिला पंचायत, बलरामपुर -	सदस्य
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत, बलरामपुर -	सदस्य
5.	ु अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, अंबिकापुर	सदस्य
6.	अधीक्षक इंजीनियर, जन स्वास्थ्य विभाग, अंबिकापुर	सदस्य
7.	एक वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले	सदस्य
• •	पारिस्थितिक छत्तीसगढ़ राज्य के ख्यातिप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एक	
	विशेषज्ञ	
8.	एक वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले	सदस्य
	(जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक	
	प्रतिनिधि	
9.	नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	वन संरक्षक, वन्यजीव और क्षेत्र निदेशक, हाथी संरक्षण, अंबिकापुर	सदस्य-सचिव

6. निर्देश निबंधन

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सिम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी सिमिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी सिमिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- **8.** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/154/2015-ईएसजेड-आरई] डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध-I</u>

सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान नाम	ग्राम नाम	अक्षांश डी-डी	देशांतर डी-डी	अक्षांश डी एम एस	देशांतर डी एम एस
1	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	बचवर	23.5035	83.6547	23°30'12.744	83°39'16.8912
2	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	भेदन	23.5002	83.3517	23°30'0.828	83°21°6.1416
3	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	चन्दारा	23.5621	83.3772	23°33'43.6788	83°22°38.082
4	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	चाराईगॉव	23.5435	83.3109	23°32'36.5136	83°18°39.1608
5	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	दाररीदीह	23.579	83.6965	23°34'44.5116	83°41'47.4648
6	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	देलदलिय	23.5332	83.4962	23°31'59.6676	83°29'46.1688
7	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	धनवर	23.6074	83.4878	23°36'26.4672	83°29'16.0116
8	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	गहानबंद	23.451	83.515	23°27'3.4596	83°30'53.8272
9	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	कनदखद	23.5582	83.7172	23°33'29.4624	83°43'1.7832
10	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	केदोकी	23.5523	83.3261	23°33'8.316	83°19°34.0788
11	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	खैनदीह	23.5094	83.3188	23°30'33.9192	83°19°7.6512
12	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	खनवाबदर	23.4597	83.585	23°27'34.8768	83°35'5.9028
13	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	लारगी	23.5871	83.4367	23°35'13.6248	83°26'12.2856
14	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	महेशपुर	23.6054	83.5617	23°36'19.5552	83°33'41.9868
15	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	मासाताली	23.5996	83.5171	23°35'58.3836	83°31'1.524
16	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	मोकरा	23.5385	83.3191	23°32'18.4992	83°19°8.6376
17	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	परती	23.5855	83.693	23°35'7.6416	83°41'34.8828
18	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	परती	23.4535	83.5529	23°27'12.4272	83°33'10.5408
19	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	प्रधानपारा	23.4533	83.5273	23°27'11.9988	83°31'38.1144
20	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	रनहत	23.5441	83.315	23°32'38.6736	83°18°54.0972
21	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	सरनादीह	23.5958	83.6306	23°35'44.7468	83°37'50.0952
22	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	सौनी	23.5296	83.7016	23°31'46.614	83°42'5.724
23	सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य	तुर्रतदीह	23.6061	83.6489	23°36'22.0032	83°38'55.9284

<u>उपाबंध-II</u> सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

क्र.सं.	निर्देश बिंदु सं.	अक्षांश डी-डी	देशांतर डी-डी	अक्षांश डी एम एस	देशांतर डी एम एस
1	एस1	23.567	83.3521	23°34'1.3656	83°21°7.4772
2	एस2	23.5911	83.4181	23°35'27.8088	83°25'5.1096
3	एस3	23.5986	83.4848	23°35'55.1328	83°29'5.2404
4	एस4	23.6019	83.5659	23°36'6.9336	83°33'57.168
5	एस5	23.5825	83.6232	23°34'56.8992	83°37'23.5848
6	एस6	23.5762	83.696	23°34'34.2444	83°41'45.5568
7	एस7	23.5316	83.6846	23°31'53.8248	83°41'4.5132
8	एस8	23.5079	83.655	23°30'28.5228	83°39'18.0936
9	एस9	23.475	83.602	23°28'30.1692	83°36'7.2576
10	एस10	23.4642	83.522	23°27'51.2244	83°31'19.3116
11	एस11	23.4752	83.4719	23°28'30.7452	83°28'18.8256
12	एस12	23.4755	83.4274	23°28'31.9368	83°25'38.6796
13	एस13	23.5144	83.4332	23°30'51.9948	83°25'59.3868
14	एस14	23.5192	83.3746	23°31'9.2424	83°22°28.4124
15	एस15	23.5217	83.3105	23°31'18.2136	83°18°37.8504

उपाबंध-III सेमारसोत वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक

क्र.सं.	निर्देश बिंदु सं.	अक्षांश डी-डी	देशांतर डी-डी	ांतर डी-डी अक्षांश डी एम एस	
1	ई 1	23.5621	83.3272	23°33'43.6464	83°19°38.0676
2	ई 2	23.5893	83.3831	23°35'21.6132	83°22°59.0196
3	ई 3	23.612	83.4498	23°36'43.0848	83°26'59.3736
4	ई4	23.6102	83.5134	23°36'36.7632	83°30'48.0708
5	ई5	23.6049	83.6003	23°36'17.6688	83°36'0.9756
6	ई6	23.6201	83.666	23°37'12.4212	83°39'57.6072
7	ई 7	23.5336	83.7357	23°32'0.9888	83°44'8.466
8	ई 8	23.4697	83.6402	23°28'10.8444	83°38'24.63
9	ई 9	23.4416	83.5426	23°26'29.5944	83°32'33.3204
10	ई10	23.4616	83.4859	23°27'41.7024	83°29'9.1932
11	ई11	23.4772	83.3707	23°28'37.866	83°22°14.5704
12	ई12	23.4968	83.3492	23°29'48.408 83°20'57.098	
13	ई13	23.5113	83.3116	23°30'40.806 83°18°41.907	

उपाबंध ।∨ अक्षांश और देशांतर और जी.पी.एस निर्देशांको के साथ सेमरसोत वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

S.O. 1165(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS the Semarsot Wildlife Sanctuary with an area of 430.361 square kilometres lies in District Balrampur, Chhatisgarh is an important protected area known for the rich habitat of varieties of flora and fauna including panther, Chital, Kotari, Hyena, Sloth beer, Peacock etc., and migratory elephants find this sanctuary a beautiful resting habitat with perennial water sources of water falls and Saal forest;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Semarsot Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 km all around the boundary of Semarsot Sanctuary in the State of Chhattisgarh as the Semarsot Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** (1) The Eco-sensitive Zone lies between 23° 26′ 35.74″ N to 23° 37′ 8.72″ N Latitude and 83° 18′ 3.56″ E to 83° 44′ 8.27″ E Longitude with a total area of 137.30 square kilometres and an extent of 1 kilometres all around the boundary of Semarsot Wilidlife Sanctuary. The list of 23 villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-I**
- (2) The latitudes and longitudes of Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-III** and **Annexure-III**.
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-IV.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,

- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture,
- (viii) Chhattisgarh State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation, and
- (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) The State Government of Chhattisgarh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 24, 29,32 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
 - (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
 - (iii) Small scale industries not causing pollution;
 - (iv) Rainwater harvesting; and
 - (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and ecodevelopment and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
 - (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Semarsot Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to ecofriendly tourism activities:
 - (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Ecosensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Ecosensitive Zone.

- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks				
(1)	(2)	(3)				
Prohibited Activities						
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.				
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.				
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.				
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.				
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.				
6.	Use or production of any hazardous substances including pesticides and insecticides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.				
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.				
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.				
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:				

		Provided the existing wood-based industry may continue as
		per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw
		mills shall not be done on their expiry period.
Regulated Act	tivities	A 7 A
10.	Use of plastic carry bags, laminates and tetra packs.	Regulated under applicable laws. Disposal of plastic articles laminates and tetra packs shall be strictly regulated and monitored.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of
12.	Construction activities.	tourists related to eco-friendly tourism activities. (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to
		small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior
		permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with
		the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
		(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be
		permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables, transmission lines and telecommunication towers.	The existing overhead electric cables shall be insulated within a specified period as per the Zonal Master Plan. In future underground cabling shall be promoted.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area and disposal of solid waste.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods

		-
		from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any
		adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-	Regulated under applicable laws.
	Timber Forest Produce (NTFP).	
26.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activ	rities	
28.	Ongoing agriculture and horticulture	Permitted under applicable laws.
	practices by local communities along	
	with dairies, dairy farming, aquaculture	
	and fisheries.	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all	Shall be actively promoted.
	activities.	
32.	Cottage industries including village	Shall be actively promoted.
	artisans.	
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.
	.	,

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Chhattisgarh, which shall comprise of the following, namely:-

1	Divisional Commissioner, Surguja - Ambikapur	Chairman
2	Collector, District Balrampur	Member
3	Divisional Forest Officer, Balrampur	Member
4	Chief Executive Officer, District Panchayat, Balrampur	Member
5	Superintendent Engineer Public Works Department, Ambikapur	Member
6	Superintendent Engineer Public Health Engineering, Ambikapur	Member
7	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Chhattisgarh to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year	Member
8	Representative of Non-governmental Organisations working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year	Member
9	Representative of the Town and Country Planning Department	Member
10	Representative of Chhattisgarh Pollution Control Board	Member
11	Conservator of Forest (Wildlife) and Field Director, Elephant Reserve, Ambikapur	Member Secretary

- **6. Terms of Reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph

- 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per proforma appended at **Annexure-V**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F.No.25/154/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF SEMARSOT WILD LIFE SANCTUARY

Sl. No.	Sanctuary/ NP Name	Village Name	Lat_DD	Long_DD	Lat_DMS	Long_DMS		
1	Semarsot WLS	Bachwar	23.5035	83.6547	23°30'12.744	83°39'16.8912		
2	Semarsot WLS	Bhedan	23.5002	83.3517	23°30'0.828	83°21°6.1416		
3	Semarsot WLS	Chandaura	23.5621	83.3772	23°33'43.6788	83°22°38.082		
4	Semarsot WLS	Charaigaon	23.5435	83.3109	23°32'36.5136	83°18°39.1608		
5	Semarsot WLS	Darridih	23.579	83.6965	23°34'44.5116	83°41'47.4648		
6	Semarsot WLS	Deldaliya	23.5332	83.4962	23°31'59.6676	83°29'46.1688		
7	Semarsot WLS	Dhanwar	23.6074	83.4878	23°36'26.4672	83°29'16.0116		
8	Semarsot WLS	Gahandand	23.451	83.515	23°27'3.4596	83°30'53.8272		
9	Semarsot WLS	Kandakhand	23.5582	83.7172	23°33'29.4624	83°43'1.7832		
10	Semarsot WLS	Kedoki	23.5523	83.3261	23°33'8.316	83°19°34.0788		
11	Semarsot WLS	Khaindih	23.5094	83.3188	23°30'33.9192	83°19°7.6512		
12	Semarsot WLS	Khatwabandar	23.4597	83.585	23°27'34.8768	83°35'5.9028		
13	Semarsot WLS	Largi	23.5871	83.4367	23°35'13.6248	83°26'12.2856		
14	Semarsot WLS	Maheshpur	23.6054	83.5617	23°36'19.5552	83°33'41.9868		
15	Semarsot WLS	Masatali	23.5996	83.5171	23°35'58.3836	83°31'1.524		
16	Semarsot WLS	Mokra	23.5385	83.3191	23°32'18.4992	83°19°8.6376		
17	Semarsot WLS	Pachwal	23.5855	83.693	23°35'7.6416	83°41'34.8828		
18	Semarsot WLS	Parti	23.4535	83.5529	23°27'12.4272	83°33'10.5408		
19	Semarsot WLS	Pradhanpara	23.4533	83.5273	23°27'11.9988	83°31'38.1144		
20	Semarsot WLS	Ranhat	23.5441	83.315	23°32'38.6736	83°18°54.0972		
21	Semarsot WLS	Sarnadih	23.5958	83.6306	23°35'44.7468	83°37'50.0952		
22	Semarsot WLS	Sauni	23.5296	83.7016	23°31'46.614	83°42'5.724		
23	Semarsot WLS	Turrtdih	23.6061	83.6489	23°36'22.0032	83°38'55.9284		

ANNEXURE-II

COORDNATES OF SEMARSOT WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Reference Point No.	Lat_DD	Long_DD	Latitude(DMS)	Longitude(DMS)
1	S1	23.567	83.3521	23°34'1.3656	83°21°7.4772
2	S2	23.5911	83.4181	23°35'27.8088	83°25'5.1096
3	S3	23.5986	83.4848	23°35'55.1328	83°29'5.2404
4	S4	23.6019	83.5659	23°36'6.9336	83°33'57.168
5	S5	23.5825	83.6232	23°34'56.8992	83°37'23.5848
6	S6	23.5762	83.696	23°34'34.2444	83°41'45.5568
7	S7	23.5316	83.6846	23°31'53.8248	83°41'4.5132
8	S8	23.5079	83.655	23°30'28.5228	83°39'18.0936
9	S9	23.475	83.602	23°28'30.1692	83°36'7.2576
10	S10	23.4642	83.522	23°27'51.2244	83°31'19.3116
11	S11	23.4752	83.4719	23°28'30.7452	83°28'18.8256
12	S12	23.4755	83.4274	23°28'31.9368	83°25'38.6796
13	S13	23.5144	83.4332	23°30'51.9948	83°25'59.3868
14	S14	23.5192	83.3746	23°31'9.2424	83°22°28.4124
15	S15	23.5217	83.3105	23°31'18.2136	83°18°37.8504


Annexure-III

Coordinates of Eco-sensitive Zone of Semarsot Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Reference Point No.	Lat_DD	Long_DD	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	E1	23.5621	83.3272	23°33'43.6464	83°19°38.0676
2	E2	23.5893	83.3831	23°35'21.6132	83°22°59.0196
3	E3	23.612	83.4498	23°36'43.0848	83°26'59.3736
4	E4	23.6102	83.5134	23°36'36.7632	83°30'48.0708
5	E5	23.6049	83.6003	23°36'17.6688	83°36'0.9756
6	E6	23.6201	83.666	23°37'12.4212	83°39'57.6072
7	E7	23.5336	83.7357	23°32'0.9888	83°44'8.466
8	E8	23.4697	83.6402	23°28'10.8444	83°38'24.63
9	E9	23.4416	83.5426	23°26'29.5944	83°32'33.3204
10	E10	23.4616	83.4859	23°27'41.7024	83°29'9.1932
11	E11	23.4772	83.3707	23°28'37.866	83°22°14.5704
12	E12	23.4968	83.3492	23°29'48.408	83°20'57.0984
13	E13	23.5113	83.3116	23°30'40.806	83°18°41.9076

ANNEXURE-IV

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SEMARSOT SANCTUARYWITH LATITUDES AND LONGITUDES AND GPS COORDINATES



Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification,
 - [Details may be attached as separate annexure]
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
 - [Details may be attached as separate annexure]
- 7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.